31.05.24 वकील आवेदक उपस्थित। चूंकि प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जा चुका है इसलिये प्रार्थना-पत्र 212 RTA स्वत: ही औचित्यहीन होने के कारण प्रार्थना-पत्र में दिनांक 21.10.20 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

ह०

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
दिल्ली

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:58:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner